मजदूरी भुगतान अधिनियम – 1936

उद्देश्य : इस अधिनियम का उद्देश्य कुछ निश्चित श्रेणी के कर्मचारियों को, जिनमें रेलवे कर्मचारी भी शामिल है तथा जो सीधे तौर पर भर्ती व निविदा द्वारा भर्ती किये गये हैं, को भुगतान की व्यवस्था शीध्र एवं बिना किसी अनाधिकृत कटौती के करना है इनमें उन्हीं कर्मचारियों को शामिल (सम्मिलित) किया गया हैं। जिनकी मजदूरी रूपये 6500/– प्रतिमाह है। (RBE 216/05)

मजदूरी/पारिश्रमिक : पारिश्रमिक से आशय उन सभी प्रकार के पारिश्रमिक से है चाहे वह मासिक वेतन हो अथवा और कोई भत्ता, जो धन (money) के रूप में अभिव्यक्त किये जा सकें। यह उन सभी कामगारों को देय होगा जो ठीक प्रकार से नियोजन संविदा की सभी शर्तें पूरी करता है (चाहे वह लिखित है या अन्यथा)। इसमें किसी प्रकार के यात्रा–भत्ते, मकान से सम्बन्धित सुख सुविधाओं की रियायत व भविष्य निधि में किया गया अंशदान तथा ग्रेचूटी आदि जो कर्मचारियों को सेवा करने पर देय हे को शामिल नहीं किया गया है।

नियोक्ता पारिश्रमिक/मजदूरी भुगतान की अवधि निश्चित करेगा, जो किसी भी प्रकार से एक माह से अधिक नहीं होगी।

मजदूरी के भुगतान का तरीका निम्न प्रकार से होगाः–

a. मजदूरी का भुगतान केवल कार्य दिवस को ही किया जायेगा।
b. मजदूरी का भुगतान केवल चालू मुद्रा में ही किया जायेगा ना कि किसी प्रकार की वस्तु (kind) में।
c. मजदूरी /वेतन का भुगतान निम्नानुसार होगाः–
   i. जहाँ 1000 से कम कामगार कार्यरत्त हैं वहाँ वेतन का भुगतान वेतन अवधि समाप्ति के 07 दिन के भीतर करना होगा, तथा
   ii. जहाँ 1000 से अधिक कामगार कार्यरत्त हो वहाँ वेतन का भुगतान, भुगतान अवधि के समाप्ति के 10 दिन के भीतर करना होगा।
d. जहाँ कामगार की सेवायें नियोक्ता द्वारा समाप्ति कर दी गई हो तो मजदूरी का भुगतान सेवा समाप्ति के दूसरे दिन की समाप्ति से पूर्व अर्थात् 48 घण्टे के भीतर किया जायेगा।

जुर्माने : (धारा 08)

i जुर्माना ऐसी भूल–चूक अथवा आचार, जिन्हें प्रदर्शित किया गया है, के उल्लंघन पर ही किया जा सकता है
ii कर्मचारी को बिना कारण बताये अथवा बिना नोटिस दिये और उससे स्पष्टिकरण लिये बगैर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता।
iii घटना घटित होने के 90 दिन के बाद जुर्माना नहीं लगाया जा सकेगा व जुर्माना किस्तों में वसूल नहीं किया जा सकता।
iv कर्मचारी पर किसी एक भुगतान अवधि में प्राप्त पारिश्रमिक के 3% से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।
v जुर्माना किसी ऐसे कामगार पर नहीं लगाया जा सकता जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम हो।
vi जुर्माने से प्राप्त पूर्ण राशि कर्मचारियों के लाभ, समृद्धि व सुविधाओं पर खर्च होगी तथा SBF में जमा होगी।

आचार एवं भूल–चूक की सूची : जिन कारणों से जुर्माने किये जा सकते है

i. आदेशों की अवहेलना व अवज्ञा,
ii. अनुशासन भंग करना,
iii. देरी से अथवा अनियमित उपस्थिति,
iv. अनुचित व्यवहार (मदिरा सेवन, झगड़ा, ड्यूटी पर सोना आदि)
v. जन साधारण को असुविधा उत्पन्न करना,
vi. झूठा व भ्रामक वक्तव्य देना,
vii दोषपूर्ण कार्य (malingering) बहाने बनाना,
viii दिशा निर्देशों व नियमों का पालन न करना जिसमें कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही वाँछित नहीं हो,
ix. रेल सम्पत्ति को नुकसान

मजदूरी से की जा सकने वाली कटौतियाँ : (धारा 07)

मजदूरी से किसी प्रकार की अनाधिकृत कटौतियाँ नहीं की जायेगी। मजदूरी से निम्न कटौतियाँ की जा सकेगीः–

a. जुर्माने,
b. काम से अनुपस्थित रहने के कारण कटौतियाँ,
c. ऐसी कटौतियाँ जो सीधे तौर पर कर्मचारियों के लापरवाही पूर्ण कार्य व भूल के कारण उसके अधीन सामान व धन के ऐसे नुकसान के कारण, जिसके लिये उसे दोषी या उत्तरदायी ठहराया गया हो, की जायेगी,
d. नियोक्ता द्वारा दी गई सेवाओं व सुविधाओं के बदले कटौती,
e. मकान सम्बन्धी प्रदान की गई सुविधा के लिये कटौती,
f. मजदूरी से अधिक भुगतान करने व अग्रीम ली गई राशि का समायोजन करने हेतु कटौतियाँ,
g. आयकर वसूलने हेतु कटौतियाँ,
h. कोर्ट के आदेशानुसार कटौतियाँ,
i. भविष्य निधि हेतु अंशदान की राशि व भविष्य निधि से लिया गया अग्रिम की वसूली हेतु कटौतियाँ,
j. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित जमा समितियाँ व सहकारी समितियाँ को किया जाने वाला भुगतान,
k. कर्मचारी से सम्बन्धित अधिकारी के लिखित आदेश द्वारा दी गई अन्य कटौतियाँ जैसेः– जीवन बीमा का प्रिमियम, खरीदी गई प्रतिभूतियाँ, डाक घर, बचत खाता आदि।

कटौतियों की सीमा :

नोट : सभी प्रकार की कटौतियाँ 50% से अधिक नहीं होगी लेकिन जहाँ कटौतियाँ किसी सहकारी समितियों के भुगतान से सम्बन्धित है तो यह कटौतियाँ 75% से अधिक नहीं होगी।

निरीक्षक : (धारा 14)

फेक्ट्री एक्ट 1948 की धारा 14 के अन्तर्गत नियुक्त व इस एक्ट के उद्देश्य के लिये नियुक्त व्यक्ति ही निरीक्षक होगा तथा वह निम्न हेतु अधिकृत होगाः–

a. किसी प्रकार का परीक्षण या परीक्षा और पूछताछ कर सकता है, जैसा कि वह उसके लिये उचित या ठीक समझाता हो,
b. किसी भी उचित समय में रेलवे की परिधि में आने वाले क्षेत्र, फेक्ट्री या अन्य उद्योगों में प्रवेश कर सकता है, निरीक्षण व तलाशी कर सकता है,
c. रेलवे, फेक्ट्री या अन्य संस्थानों में कार्यरत्त व्यक्तियों के मजदूरी भुगतान सम्बन्धी कार्यों का पर्यवेक्षण कर सकता है,
d. लिखित आदेश के द्वारा इस एक्ट से सम्बन्धित रखे गये रजिस्टरों व दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की माँग कर सकता है,
e. वह ऐसे रजिस्टर व दस्तावेजों की कॉपियॉ ले सकता है या उन्हें जब्त कर सकता है, जो इस एक्ट के तहत अपराध बोध के लिये ससंगत प्रतीत होते है,
f. ऐसी अन्य शक्तियों को प्रयोग में ले सकता हे जो उसे अधिकारिक रूप से प्राप्त है।

इस नियम के उल्लंघन पर सजा : (धारा 20)

a. इस नियम के तहत भुगतान में देरी, अभुगतान व अनाधिकृत कटौती करने पर जुर्माना रूपये 3750/– हो सकता है।
b. अन्य मामलों में जैसेः– नोटिस नहीं लगाने पर, जुर्माना रजिस्टर का रख–रखाव न रखने आदि पर नियोक्ता पर कम से कम रूपये 1500/– जुर्माना हो सकता है व इसे रूपये 7500/– तक बढ़ाया जा सकता है।

सूचनायें जो प्रदर्शित की जानी अनिवार्य है : (धारा 25, 25 ए)

a. अधिनियम का सार,
b. वेतन अवधि,
c. भुगतान तिथि, तथा
d. भूल एवं चूक की सूची – हिन्दी, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदर्शित हो।